

9

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक. 5/87-90/रिरोही 198

यह प्रमाणित किया जाता है कि

आवृत्त

जिला

रिरोही

का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 ( राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958 ) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सोल से आज

दिनांक 8 माह सन् एक हजार नौ सौ

रिरोही में दिया गया ।

रजिस्ट्रार संस्था रिरोही

